फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक

राहुल बनाम जानकी वगै०

मुकदमा संख्या/वर्ष : 36 / 2022

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	2.5.22	वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, रा०का०ए० मय श्री अशोक सैन एड० द्वारा प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट मसिल्ले हो चुकी है, दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादीगणों को तलबी होकर पत्रावली दिनांक 30-05-2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक	
	30.5.22	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 12.7.22 को पेश हो। प्रतिवादी सं. 1 व 4 की ओर से श्री सुरेश कुमार शर्मा एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल फाईल है।	
	12-7-22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी उप है। वकील पक्षकारान उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 2-9-22 को पेश शेष प्रतिवादियों को रजि. AD तलबी हेतु अन्तिम अवसर दिया गया।	
	2/9/22	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 11.11.22 को पेश हो। श्रीमान जिला कलक्टर महो. जयपुर के आदेशानुसार मूल पत्रावली नव सृजित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर को प्रेषित की / जाती है।	
	11.11.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 20/01/23 को पेश हो।	
	20/1/23	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सं. 1 व 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया जाता है। शेष प्रतिवादीगण की तामील हेतु समन तलबाना पेश होने पर जारी Reg. AD. जारी होकर पत्रावली दिनांक 8/3/23 को पेश हो।	

फर्द अहकाम

मुकदमा संख्या / वर्ष ______ बनाम ______ / 20

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	8/3/23	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित रखा है। अत: पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 20/3/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	20/3/23	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित रखा है। अत: पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 17/4/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	17/4/23	पत्रावली पेश हुई। पुकार [illegible] उपस्थित। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी एवं उनके अधिवक्ता को रूक-रूक कर बार-बार आवाज लगाई गई। समय 5.45 P.M. हो चुका है। अत: वादी का वाद आदेश 9 नियम 3 CPC में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 17/4/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर राज0

महोदय जी,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि

1- क्या यह क्षेत्राधिकार में है। हां।

2- क्या पर्याप्त मुद्रांक पर है। हां।

3- क्या अंकित तथ्य कार्यवाही के हैतुक को प्रकट करते है। हां।

4- क्या मियाद बाहर है। नहीं

5- क्या वाद से सम्बन्धित सभी को पक्षकार बनाया गया है तथा सही रूप से अंकित किया गया है। हां।

6- क्या वाद पत्र में निरर्थक बात लिखी है या अन्यथा पपंची है। नहीं

7- क्या आदेश 7 का पालन किया है।

8- क्या दावे के साथ नवीनतम जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। हां।

9- क्या इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है कि प्रार्थी जिस जमाबंदी के आधार पर यह दावा प्रस्तुत कर रहा है वाद में भूमि अथवा इसके भाग का बेचान अन्य किसी व्यक्ति को नहीं किया गया है। नहीं

10- क्या बंट्वारे के दावे में समस्त सह खातेदारो को पक्षकार बना लिया गया है। हां।

11- क्या राज्य सरकार अथवा जिला कलेक्टर पार्टी है। हां

12- क्या दावे के प्रत्येक पेज पर प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है। हां।

13- क्या राजस्व भूमि शहर क्षेत्र की है यदि हो तो क्या सम्बन्धित शहरी को पक्षकार बनाया है। नहीं

14- क्या वाद पंजीकृत विलेख को निरस्त करवाने बाबत है। नहीं

15- क्या भूमि का विक्रय अनुबन्ध (AGREEMENT TO SALE) है। अंकित नहीं है

16- क्या वाद ऐसी भूमि से सम्बन्धित है जिसका राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 के अंतर्गत संपरिवर्तन किया गया है। अंकित नहीं है

17- क्या दर्ज किया जाना उचित है।

उचित आदेशार्थ। 11.4.22

श्रीमान् एस0डी0एम0 साहब